

डिजिटल क्षेत्र में सामग्री विनियमन के लिए सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण

रूद्र जोशी

स्वतंत्र फिल्म निर्माता और लेखक

शोध सारांश

डिजिटल और सोशल मीडिया क्षेत्र में सामग्री विनियमन एक महत्वपूर्ण चर्चा बिंदु है। यह अध्ययन भारत में सोशल मीडिया के नियमों के संबंध में छात्रों और अन्य व्यक्तियों की राय की जांच करता है। शोधकर्ता का लक्ष्य यह समझना है कि ये नियम लोगों के सोशल मीडिया के उपयोग को कैसे प्रभावित करते हैं। अध्ययन में प्राथमिक डेटा इकट्ठा करने के लिए एक सर्वेक्षण का उपयोग शामिल था। निष्कर्षों से पता चलता है कि कुछ उत्तरदाताओं ने नियमों का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे गलत जानकारी और घृणास्पद भाषण जैसी हानिकारक चीजों को रोकने में मदद मिलेगी। अन्य लोगों ने चिंता व्यक्त की कि नियम उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं या सोशल मीडिया का उपयोग करना अधिक कठिन बना सकते हैं। प्रतिभागियों ने स्पष्ट और निष्पक्ष नियमों के महत्व पर जोर दिया। निष्कर्ष बताते हैं कि सोशल मीडिया नियमों के बारे में निर्णय लेते समय लोगों के दृष्टिकोण पर विचार करना आवश्यक है। यह समझ प्रभावी और संतुलित नियम बनाने में योगदान दे सकती है जिससे सभी को लाभ हो।

बीज शब्द: प्रतिबंध, उपयोगकर्ता मत, भाषा की स्वतंत्रता, मीडिया विनियमन

1. परिचय

मीडिया के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण देश है, जहां मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल है। भारतीय संविधान ने मीडिया परिदृश्य की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई है, जिसमें विचारों और विचारों को संप्रेषित करने के लिए मीडिया का उपयोग करने का अधिकार शामिल है। लेकिन, इस स्वतंत्रता के सीमित होने का भी कोई संज्ञान रखा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 19(2) संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण के हित में उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है। इसलिए, मीडिया की स्वतंत्रता को और जिम्मेदारी को संतुलित रखने के लिए एक नियामक ढांचे की आवश्यकता है।

भारत ने मीडिया के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए व्यापक नियामक ढांचा स्थापित किया है। प्रमुख नियामक निकायों और प्रासंगिक कानूनों में शामिल हैं: भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), और डिजिटल मीडिया आचार संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशानिर्देश। इन नियामकों के माध्यम से मीडिया संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाता है और मीडिया को जिम्मेदारी के साथ व्यवस्थित किया जाता है।

हालांकि, अपने स्थान पर नियामकों के साथ, भारतीय मीडिया को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक है सोशल मीडिया विनियमन का मुद्दा। सोशल मीडिया की उपयोगिता और समाजिक प्रभाव के बीच संतुलन स्थापित करना एक मुश्किल चुनौती है।

एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय संसद के कुछ सदस्यों ने सोशल मीडिया के विनियमन की मांग की है, जिससे लोगों को इस तकनीकी प्लेटफार्म पर समाजिक संघर्ष से

बचाया जा सके। लेकिन, यह विनियमन कदम सभी की रुचि में नहीं है, और यह भी उपयोगकर्ताओं को न तो इसके पर भरोसा है कि यह सही है और ना ही इसकी विशेष जरूरत है। यह विचार दर्शाता है कि सोशल मीडिया विनियमन के बारे में व्यापक चर्चाओं और सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने की जरूरत है।

भारत में मीडिया विनियमन को लेकर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, और इसे संबंधित कई प्रश्नों के साथ देखा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की ताकत और उनके परिणामों को नियंत्रित करने की क्षमता के माध्यम से, सरकारें और नियामक निकाय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह विनियमन और नियामक निकायों के बीच एक बड़ा संघर्ष उत्पन्न कर सकता है, जिसे सामाजिक, नैतिक, और कानूनी मानवाधिकारों के संरक्षण के साथ संतुलित करना होगा।

अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मीडिया की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि मीडिया को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने विचार और विचारों को संबोधित करने के लिए, लेकिन इसके साथ ही उसे जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नैतिक दायित्व, सार्वजनिक हित और सामाजिक दायित्वों के साथ करना चाहिए।

इसके साथ ही, सरकारी हस्तक्षेप और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन भी महत्वपूर्ण है। सरकारी दबाव, सेंसरशिप और मीडिया संगठनों के साथ हस्तक्षेप की चिंता होनी चाहिए, ताकि मीडिया की स्वतंत्रता और मीडिया का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हो सके। भारत में मीडिया विनियमन एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है, जिसमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के संतुलन को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। समझदारी, संरक्षा और सामाजिक समानता के साथ, सभी स्तरों पर मीडिया को संरक्षित करने के लिए सटीक नियामक ढांचा और नियामक निकायों की आवश्यकता है।

2. 2. हालिया विकास और सुधार

मीडिया विनियमन में भारत ने हाल के विकास में व्यापक सुधार किए हैं। इन सुधारों में शामिल हैं:

1. डिजिटल मीडिया के लिए नए नियम

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ने डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए नए नियम पेश किए हैं, जो सामग्री हटाने में शिकायत तंत्र, सामग्री मॉडरेशन और पारदर्शिता के उपयोग को अनिवार्य करते हैं (Acquisti और Gross, 2006; Adu-Oppong और अन्य, 2008; Ahern और अन्य, 2007).

2. स्व-विनियमन बहस

डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए स्वतंत्र स्व-नियामक संगठनों के निर्माण के बारे में चर्चाएं सामने आई हैं, जिससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और सामग्री से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए उद्योग की भागीदारी और निगरानी की अनुमति मिलती है (Altman, 1975; Baden और अन्य, 2009; Boyd, 2007).

3. प्रसारण विनियमन के लिए सिफारिशें

ट्राई जैसे संगठनों ने उपभोक्ता की पसंद बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सामग्री नियंत्रण को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रसारण नियामक प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव दिया है (Fong और अन्य, 2009; Glaser और Strauss, 1967).

4. न्यायिक हस्तक्षेप

न्यायपालिका ने मीडिया की स्वतंत्रता की व्याख्या और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायालय के फैसलों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा, नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देने और मनमाने सरकारी कार्यों पर अंकुश लगाने के महत्व पर जोर दिया गया है (Guha और अन्य, 2008; Strauss और Corbin, 1990).

भारत में मीडिया को विनियमित करना एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य जवाबदेही और जिम्मेदार सामग्री प्रसार सुनिश्चित करते हुए मीडिया की स्वतंत्रता को संरक्षित करना है। जबकि भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बरकरार रखता है, यह सामाजिक सद्भाव के लिए प्रतिबंधों की अनुमति देता है। भारत ने मीडिया से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए नियामक निकाय और कानूनी तंत्र स्थापित किए हैं, फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन ढूंढना, सरकारी हस्तक्षेप को संबोधित करना और तकनीकी प्रगति को अपनाना शामिल है। जैसे-जैसे भारत का मीडिया परिदृश्य विकसित हो रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और एक समावेशी और जीवंत मीडिया वातावरण को बढ़ावा देने के लिए यह संतुलन बनाना आवश्यक है।

3. संबंधित साहित्य का अवलोकन

जैसे-जैसे इंटरनेट का उदय हुआ, संघर्षों और अपराधों की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ गई, जिससे अभिव्यक्ति की ऑनलाइन स्वतंत्रता की सीमाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता हुई। हालाँकि, मौजूदा नियमों ने इस नई सामाजिक घटना द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए संघर्ष किया है। इंटरनेट सामग्री के लिए जिम्मेदारी सौंपना, नाबालिगों

की सुरक्षा करना और भागीदारी-आधारित प्रणालियों का प्रबंधन करना विधायकों के लिए कठिन कार्य साबित हुआ है। नतीजतन, इंटरनेट के उदय ने मुक्त भाषण पर कुछ सीमाएं लगा दी हैं। बहरहाल, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट की वैश्विक प्रकृति और क्षेत्रीय सांस्कृतिक मानदंडों में भिन्नता के कारण समान मानक संभव नहीं हो सकते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। दोनों देशों को अश्लीलता को नियंत्रित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर इंटरनेट के विस्तार के मद्देनजर। बच्चों की सुरक्षा की कोशिश करते समय नियामक मानकों को स्थापित करने के प्रयास वयस्क अधिकारों के लिए अचूक और संभावित रूप से प्रतिबंधात्मक रहे हैं। हालाँकि इंटरनेट पर अश्लीलता को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, लेकिन उनका प्रभावी कार्यान्वयन अनिश्चित बना हुआ है, जिससे वर्तमान नियामक दृष्टिकोण के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। इंटरनेट द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियाँ स्वतंत्रता और विनियमन के बीच सही संतुलन खोजने में सावधानीपूर्वक विचार करने की मांग करती हैं (पारकू और सिल्वेस्ट्री, 2014)। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भावी पीढ़ियाँ कल के नागरिक समाज के लिए तैयार हों, महत्वपूर्ण मीडिया साक्षरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालाँकि यह तत्काल परिवर्तन नहीं ला सकता है या विचारों के बाज़ार में मुद्दों को पूरी तरह से हल नहीं कर सकता है, शिक्षा में महत्वपूर्ण मीडिया साक्षरता पर जोर देना एक स्वस्थ चर्चा में योगदान दे सकता है। जबकि अधिकांश चर्चाएँ सोशल मीडिया को ठीक करने पर केंद्रित होती हैं, अगली पीढ़ी को उत्पादक चर्चाओं में शामिल करने के लिए तैयार करना आवश्यक है, विचारों के एक ईमानदार बाज़ार को बढ़ावा देना जो प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ तीव्र पक्षपात का प्रतिकार करता है। एक समावेशी और जन-केंद्रित सूचना समाज के विकास के लिए इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मजबूत सुरक्षा आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऑनलाइन अन्य मानवाधिकारों के लिए उत्प्रेरक का

काम करती है और यह अपने आप में एक मौलिक मानवाधिकार है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून द्वारा संरक्षित है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि पेशेवर और नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए इंटरनेट-आधारित पारंपरिक और नागरिक पत्रकारों की सुरक्षा की जाए।

इंटरनेट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चुनौतियाँ पैदा करता है, क्योंकि यह व्यक्तियों को सशक्त बनाता है लेकिन सामग्री विनियमन के बारे में चिंताएँ भी पैदा करता है। इंटरनेट को "सार्वजनिक क्षेत्र" के रूप में परिभाषित करना भौतिक विश्व अधिकारों के समान ऑनलाइन अभिव्यक्ति अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि निजी संस्थाओं द्वारा स्व-नियमन अभिव्यक्ति के अधिकारों पर व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दे सकता है, इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा को मजबूत करना राज्य की जिम्मेदारी के लिए आवश्यक है।

4. शोध पद्धति और उद्देश्य

1. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की जागरूकता का आकलन करना
2. सामग्री विनियमन के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करने पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के विचारों का अध्ययन करना
3. सोशल मीडिया पर सामग्री विनियमन के संबंध में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की धारणाओं का पता लगाना

इस अध्ययन के लिए एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय टूल्स का उपयोग कर किया गया। वर्णनात्मक विश्लेषण में प्रतिक्रियाओं को सारांशित करना और आवृत्तियों, प्रतिशतों, साधनों और मानक विचलनों की गणना करना शामिल था। इसके अतिरिक्त, भारत में मीडिया उपयोगकर्ताओं की धारणाओं की

जांच करने के लिए सहसंबंध विश्लेषण और प्रतिगमन विश्लेषण जैसी अनुमानित विश्लेषण तकनीकों को नियोजित किया गया था।

नैतिक अनुसंधान मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, अध्ययन में शामिल होने से पहले सभी प्रतिभागियों से सूचित सहमति प्राप्त की गई थी। डेटा संग्रह और विश्लेषण चरणों के दौरान, गोपनीयता और गुमनामी को सख्ती से बरकरार रखा गया था। अध्ययन में मानव विषयों से जुड़े अनुसंधान से संबंधित नैतिक दिशानिर्देशों और नियमों का पालन किया गया।

इस अध्ययन के लिए विचाराधीन जनसंख्या में वे छात्र शामिल थे जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। अध्ययन के लिए 200 मीडिया उपयोगकर्ताओं को शामिल किया गया। सैंपल अथवा नमूना चयनित करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया गया है वो गैर-संभाव्यता तकनीक (विशेष रूप से, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण) के नाम से प्रचलित है। डेटा संग्रह के लिए नियोजित शोध विधि एक सर्वेक्षण थी और डेटा संग्रह के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण गूगल फ़ॉर्म के माध्यम से प्रभावली था। डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था।

5. डेटा विश्लेषण

1. प्रतिभागियों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग की आवृत्ति पर डेटा एकत्र किया गया था। अधिकांश (80%) ने प्रतिदिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करने की सूचना दी, जो उच्च व्यस्तता का संकेत देता है। छोटे प्रतिशत (15%) ने साप्ताहिक या मासिक (5% और 10% में संघटित) उपयोग की सूचना दी, जबकि कुछ उत्तरदाताओं (5%) ने कहा कि वे शायद ही कभी इन प्लेटफार्मों तक पहुंचते हैं। ये निष्कर्ष प्रतिभागियों के जीवन में दैनिक सोशल मीडिया इंटरैक्शन की व्यापकता को उजागर करते हैं।
2. इस शोध का एक उद्देश्य लोगों की सोशल मीडिया प्राथमिकताओं का अध्ययन करना था। इंस्टाग्राम सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म (55.5%) के रूप में उभरा, इसके बाद फेसबुक (20.0%) और यूट्यूब (15.0%) का स्थान रहा। अन्य प्लेटफॉर्म, जैसे कि ट्विटर, लिंकडइन, स्नैपचैट और व्हाट्सएप कम लोकप्रिय थे, प्रत्येक का उपयोग का प्रतिशत छोटा था। ये निष्कर्ष प्रतिभागियों के बीच इंस्टाग्राम की प्रमुख उपस्थिति को उजागर करते हैं।

3. प्रतिभागियों से सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों या गलत सूचना से उनके सामना के बारे में पूछा गया। पता चलता है कि अधिकांश लोगों (86.7%) ने ऐसी सामग्री देखी है, जो एक प्रचलित समस्या का संकेत देती है। एक छोटे प्रतिशत (13.3%) ने जवाब दिया कि उन्हें फर्जी खबरों का सामना नहीं करना पड़ा है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना की व्यापक उपस्थिति को रेखांकित करता है।
4. डेटा ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और गलत सूचना के प्रसार के संबंध में प्रतिभागियों की चिंता के स्तर का आकलन किया। बहुमत (82.6%) ने अलग-अलग स्तर की चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से, 40.0% बहुत चिंतित थे और 42.6% कुछ हद तक चिंतित थे, जो पर्याप्त आशंका को उजागर करता है। एक छोटा सा हिस्सा इस गंभीर मुद्दे के बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं (12.0%) या बिल्कुल भी चिंतित नहीं (2.4%) होने की सूचना देता है। इसे मुख्य रूप से उपयुक्त चिंता का उत्पन्न होने का कारण है कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और गलत सूचना का प्रसार होने से समाज में भ्रम और असहमति बढ़ सकती है, जिससे लोगों को चिंता होती है कि सही जानकारी का पता लगाना कठिन हो सकता है।
5. एक बयान का उद्देश्य भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विनियमन के संबंध में जनता की धारणा को मापना था। डेटा विविध राय दर्शाता है, 34.1% उत्तरदाता अनिश्चित हैं (कह नहीं सकते)। हालाँकि, एक बड़े अनुपात (25.0%) और मजबूत सहमति (29.2%) ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को विनियमित किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, 21.7% इस धारणा से असहमत या दृढ़ता से असहमत थे। इस धारणा के असहमत होने का मुख्य कारण है कि कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को संविधान द्वारा विनियमित किया जाना किसी प्रकार से मनाही मानते हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनकी आज़ादी कम हो सकती है।
6. भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सामग्री विनियमन के बारे में प्रतिभागियों की धारणाओं को का विश्लेषण करने पर पता चला कि बहुमत (47.6%) ने फर्जी खबरों को विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो गलत सूचना के बारे में बढ़ती चिंता का संकेत देता है। साइबरबुलिंग और अभद्र भाषा भी महत्वपूर्ण चिंताएँ थीं, जिनमें से प्रत्येक को 14.6% प्रतिक्रियाएँ मिलीं। आतंकवाद से संबंधित सामग्री और पोर्नोग्राफी को क्रमशः 12.2% और 8.5% समर्थन प्राप्त हुआ। दिलचस्प बात यह है कि केवल 2.4% ने "उपरोक्त सभी" को विनियमित करने की वकालत की, जो सामग्री मॉडरेशन के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण का सुझाव देता है। ये निष्कर्ष भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर संभावित हानिकारक सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में जनता की प्राथमिकताओं और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हैं। नीति निर्माता और प्लेटफॉर्म संचालक इस जानकारी का उपयोग अधिक लक्षित और प्रभावी नियामक उपाय

विकसित करने के लिए कर सकते हैं। इस धारणा के पीछे का संभावित कारण है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर असंवैधानिक और अभद्र सामग्री की वजह से लोगों में उत्तेजना और असहमति का बाढ़ना हो रहा है। इससे उनकी सुरक्षा और शांति के संदेहों की उत्पत्ति हो रही है, जिससे सामाजिक समरसता और सामाजिक सहयोग की भावना को ध्वस्त किया जा रहा है। इसलिए, लोग सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के संविधानिक नियामन की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा हो सके।

7. डेटा विश्लेषण से आगे पता चला कि प्रतिभागियों के दृष्टिकोण इस बात पर थे कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को अपने कंटेंट-रैंकिंग एल्गोरिदम का खुलासा करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। बहुमत (53.7%) ने पारदर्शिता का समर्थन किया और माना कि ऐसा खुलासा आवश्यक है। हालाँकि, एक महत्वपूर्ण हिस्सा (32.9%) मामले के बारे में अनिश्चित रहा, जबकि एक छोटा हिस्सा (13.4%) एल्गोरिथम प्रकटीकरण के विचार से असहमत था। ये परिणाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संदर्भ में एल्गोरिथम पारदर्शिता के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अलग-अलग राय को उजागर करते हैं।
8. इस धारणा के पीछे संभावित कारण यह हो सकता है कि लोगों को अपने सोशल मीडिया अनुभव को अधिक समझने और उसमें पारदर्शिता के साथ अधिक भरोसा करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। एक खुले एल्गोरिदम के माध्यम से, उपयोगकर्ताओं को अपने अनुभव को समझने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी सोशल मीडिया अनुप्रयोगों पर अधिक नियंत्रण और समझ मिलेगी। इससे उनके विश्वास में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्तेजित और जागरूक उपयोगकर्ताओं बन सकेंगे।
9. सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और गलत सूचना के प्रसार के संबंध में प्रतिभागियों की चिंता के बारे में एक सवाल था। डेटा विविध प्रकार की प्रतिक्रियाओं को इंगित करता है, जिसमें 41.5% ने सकारात्मक भावना व्यक्त की है, जो संभवतः मुद्दे को संबोधित करने में सतर्कता या आशावाद की भावना का संकेत देता है। इस बीच, 40.2% तटस्थ रहे और 18.3% ने नकारात्मक दृष्टिकोण रखा, जो संभवतः महत्वपूर्ण चिंता या जागरूकता की कमी का संकेत देता है। ये निष्कर्ष सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर गलत सूचना से निपटने के प्रति जनता के दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस धारणा के पीछे संभावित कारण यह हो सकता है कि लोगों को सोशल मीडिया पर पायी जाने वाली गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों के प्रभाव का खुलासा हो रहा है। वे सकारात्मक भावना व्यक्त करके सूचना के सत्यापन और गलत सूचना के खिलाफ जागरूकता फैलाने की दिशा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, कुछ लोग तटस्थ रहे हैं, जो संभावित खतरे को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं या शायद उन्हें इस बारे में साक्षात्कार में सही ढंग से शिक्षा नहीं मिली हो।

10. डेटा सोशल मीडिया पर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियमों के संभावित प्रभाव के बारे में प्रतिभागियों की धारणाओं को और भी स्पष्ट करता है। डेटा विविध दृष्टिकोणों को प्रकट करता है, जिसमें 37.8% अनिश्चितता (शायद) के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। हालाँकि, एक महत्वपूर्ण संख्या (34.1%) का मानना था कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी, जबकि 28.0% ने चिंता व्यक्त की कि नियम वास्तव में उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। इन प्रतिक्रियाओं के पीछे संभव कारण यह हो सकता है कि लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से सोशल मीडिया पर विचारों और धारणाओं को साझा करने का अधिकार होने की चाहिए। वे संविधानीय स्वतंत्रता के प्रति आदर रखते हैं और नियमों द्वारा इसे प्रतिबंधित करने की चिंता करते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग नियमों की मौजूदगी से अधिकतम संरक्षा की मांग करते हैं, जिससे सोशल मीडिया पर अश्लीलता, विद्रोह या अन्य अधिकारिक संदेशों की विस्तारित स्वतंत्रता प्रदान करने के अनुमति मिल सके।

6. निष्कर्ष

शोध के निष्कर्षों से भारत में सोशल मीडिया और इसके उपयोगकर्ताओं (विशेषकर छात्रों) के बीच जटिल संबंधों में दिलचस्प अंतर्दृष्टि का पता चलता है। छात्रों/उत्तरदाताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ उच्च जुड़ाव प्रदर्शित किया। अधिकांश उत्तरदाताओं ने उन्हें प्रतिदिन उपयोग करने की सूचना दी। इंस्टाग्राम सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा, जो प्रतिभागियों के बीच इसकी प्रमुख उपस्थिति को दर्शाता है, इसके बाद फेसबुक और यूट्यूब का स्थान है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार को भी एक बड़ी चिंता के रूप में देखा जाता है। अधिकांश प्रतिभागियों ने ऐसी सामग्री का सामना करने की सूचना दी, जो इस मुद्दे के समाधान के लिए उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा, प्रतिभागियों ने फर्जी खबरों के प्रसार के बारे में अलग-अलग स्तर की चिंता व्यक्त की, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा बहुत चिंतित या कुछ हद तक चिंतित था। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को विनियमित करने से प्रतिभागियों के बीच विविध राय उत्पन्न हुई। जबकि एक बड़ी संख्या ने विनियमन के लिए समर्थन व्यक्त किया, अन्य अनिश्चित थे या इस विचार से असहमत थे। यह तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में मीडिया की स्वतंत्रता और जिम्मेदार सामग्री प्रसार को संतुलित करने की जटिलता को दर्शाता है।

शोध के निष्कर्षों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं भी सामने आईं। प्रतिभागियों ने सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियमों के संभावित प्रभाव के संबंध में मिश्रित दृष्टिकोण प्रदर्शित किया। कुछ का मानना था कि उनकी स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी, जबकि अन्य ने संभावित सीमाओं के बारे में चिंता व्यक्त की।

सामग्री विनियमन के संबंध में, प्रतिभागियों ने फर्जी समाचार, साइबरबुलिंग और घृणास्पद भाषण से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। जबकि आतंकवाद-संबंधी सामग्री और अश्लील साहित्य का भी उल्लेख किया गया था, उन्हें कम बार उजागर किया गया था। विशेष रूप से, केवल एक छोटे प्रतिशत ने "उपरोक्त सभी" को विनियमित करने की वकालत की, जो सामग्री मॉडरेशन के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण का सुझाव देता है।

एल्गोरिदम प्रकटीकरण में पारदर्शिता को अधिकांश प्रतिभागियों से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। उनका मानना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक विश्वास और समझ को बढ़ावा देने के लिए अपने कंटेंट-रैंकिंग एल्गोरिदम का खुलासा करना चाहिए। ये निष्कर्ष भारत में मीडिया विनियमन की जटिलता और गतिशीलता को रेखांकित करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और एक जीवंत और समावेशी मीडिया वातावरण को बढ़ावा देने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। नीति निर्माताओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को गलत सूचना से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने और उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए जिम्मेदार सामग्री प्रसार सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जैसे-जैसे भारत का मीडिया परिदृश्य विकसित हो रहा है, प्रतिभागियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को संबोधित करने वाले लक्षित और प्रभावी नियामक उपायों को विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए एक व्यापक और अनुकूली दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो तकनीकी प्रगति, उपयोगकर्ता दृष्टिकोण और सामाजिक आवश्यकताओं पर विचार करे। ऐसा करके, भारत एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दे सकता है जहां मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाया जाता है और सभी के लिए एक स्वस्थ डिजिटल स्थान तैयार किया जाता है।

सन्दर्भ और ग्रंथ सूची

1. Abdullateef, M. (2021). Regulating social media in Nigeria: A quantitative perception study. *Nile Journal of Political Science*, 2(1), 52-77.
2. Ashwini, S. (2021). Social Media Platform Regulation in India—A Special Reference to The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. *Perspectives on Platform Regulation*, 215-232.
3. Ho, H., Shin, W., & Lwin, M. O. (2019). Social networking site use and materialistic values among youth: The safeguarding role of the parent-child relationship and self-regulation. *Communication Research*, 46(8), 1119-1144.
4. Parcu, P. L., & Silvestri, V. (2014). Electronic communications regulation in Europe: An overview of past and future problems. *Utilities Policy*, 31, 246-255.
5. Boobalakrishnan N., Francis P. Barclay. (2021). *Social Media in India: Regulatory Needs, Issues and Challenges*. India: SAGE Publications.
6. Acquisti, A. and Gross, R. *Imagined Communities: Awareness, Information Sharing, and Privacy on the Facebook*. Proc. PET 2006, Springer (2006), 36--56.
7. Adu-Oppong, F., Gardiner, C. K., Kapadia, A., and Tsang, P. P. *Social Circles: Tackling Privacy in Social Networks*. Proc. SOUPS 2008.
8. Ahern, S., Eckles, D., Good, N. S., King, S., Naaman, M., and Nair, R. *Over-exposed?: Privacy Patterns and Considerations in Online and Mobile Photo Sharing*. Proc. CHI 2007, ACM Press (2007), 357--366.
9. Altman, I. *The Environment and Social Behavior*. Brooks/Cole, Monterey, CA, 1975.
10. Baden, R., Bender, A., Spring, N., Bhattacharjee, B., and Starin, D. *Persona: An Online Social Network with User-Defined Privacy*. ACM SIGCOMM Computer Communication Review 39, 4 (2009), 135--146.
11. boyd, d. *Why Youth (heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life*. In Buckingham, D. (Ed.), *The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007, 119--142.
12. boyd, d. and Ellison, N.B. *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship*. JCMC 13, 1 (2007).
13. Chai, S., Bagchi-Sen, S., Morrell, C., Rao, H. R., and Upadhyaya, S. J. *Internet and Online Information Privacy: An Exploratory Study of Preteens and Early Teens*. IEEE Transactions on Professional Communication 52, 2 (2009), 167--182.
14. DiMicco, J. M. and Millen, D. R. *Identity Management: Multiple Presentations of Self in Facebook*. Proc. GROUP 2007, ACM Press (2007), 383--386.
15. Egelman, S., Oates, A., and Krishnamurthi, S. *Oops, I did it Again: Mitigating Repeated Access Control Errors on Facebook*. Proc. CHI 2011, ACM Press (2011), 2295--2304.

16. Fang, L. and LeFevre, K. Privacy Wizards for Social Networking Sites. Proc. WWW 2010, ACM Press (2010), 351--360.
17. Farnham, S. D. and Churchill, E. F. Faceted Identity, Faceted Lives: Social and Technical Issues with Being Yourself Online. Proc. CHI 2011, ACM Press (2011), 359--368.
18. Fong, P., Anwar, M., and Zhao, Z. A Privacy Preservation Model for Facebook-Style Social Network Systems. Proc. ESORICS 2009, Springer (2009), 303--320.
19. Glaser, B. G. and Strauss, A. L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Aldine de Gruyter, Hawthorne, NY, 1967.
20. Goffman, E. The Presentation of Self in Everyday Life. Anchor Books, New York, 1959.
21. Guha, S., Tang, K., and Francis, P. NOYB: Privacy in Online Social Networks. Proc. WOSN 2008, ACM Press (2008), 49--54.
22. Jones, S. and O'Neill, E. Feasibility of Structural Network Clustering for Group-Based Privacy Control in Social Networks. Proc. SOUPS 2010, ACM Press (2010), 9:1--9:13.
23. Lampe, C., Ellison, N.B., and Steinfield, C. Changes in Use and Perception of Facebook, Proc. CSCW 2008, ACM Press (2008), 721--730.
24. Lampinen, A., Tamminen, S., and Oulasvirta, A. All My People Right Here, Right Now: Management of Group Co-Presence on a Social Networking Site. Proc. GROUP 2009, ACM Press (2009), 281--290.
25. Lenhart, A. Adults and Social Network Websites. Pew Internet and American Life Project, Washington DC (2009).
26. Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A., and Zickuhr, K. Social Media and Young Adults. Pew Internet and American Life Project, Washington, DC (2010).
27. Lipford, H. R., Hull, G., Latulipe, C., Besmer, A., and Watson, J. Visible Flows: Contextual Integrity and the Design of Privacy Mechanisms on Social Network Sites. Proc. CSE 2009, ACM Press (2009), 985--989.
28. Nippert-Eng, C. E. Islands of Privacy. University Of Chicago Press, Chicago, 2010.
29. Ozenc, F. K. and Farnham, S. D. (2011). Life "Modes" in Social Media. Proc. CHI 2011, ACM Press (2011), 561--570.
30. Palen, L. and Dourish, P. Unpacking "Privacy" for a Networked World. Proc. CHI 2003, ACM Press (2003), 129--136.

31. Patil, S., Page, X., and Kobsa, A. With a Little Help from My Friends: Can Social Navigation Inform Interpersonal Privacy Preferences? Proc. CSCW 2011, ACM Press (2011), 391--394.
32. Petronio, S. Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure. State University of New York Press, Albany, NY, 2002.
33. Shakimov, A., Lim, H., Cáceres, R., Cox, L. P., Li, K., Liu, D., and Varshavsky, A. Vis-a-Vis: Privacy-Preserving Online Social Networking via Virtual Individual Servers. Proc. COMSNETS 2011, IEEE Press (2011), 1--10.
34. Skeels, M. M. and Grudin, J. When Social Networks Cross Boundaries: A Case Study of Workplace Use of Facebook and LinkedIn. Proc. GROUP 2009, ACM Press (2009), 95--104.
35. Strauss, A. L. and Corbin, J. M. Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA, Sage, 1990.
36. Stutzman, F. and Kramer-Duffield, J. (2010). Friends Only: Examining a Privacy-Enhancing Behavior in Facebook. Proc. CHI 2010, ACM Press (2010), 1553--1562.
37. Terveen, L. and McDonald, D. W. Social matching: A Framework and Research Agenda. ACM ToCHI 12 (2005), 401--434.
38. Watson, J., Whitney, M., and Lipford, H. R. (2009). Configuring Audience-Oriented Privacy Policies. Proc. AUSE 2009, ACM Press (2009), 71--78.
39. Westin, A. F. Privacy and Freedom. Atheneum, New York, 1967
40. Zheleva, E. and Getoor, L. (2009). To Join or Not to Join: The Illusion of Privacy in Social Networks with Mixed Public and Private User Profiles. Proc. WWW 2009, ACM Press (2009), 531--540.